


<p>तारिख हुक्म</p>	<p><b>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b>  <b>स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 76/2024</b></p>	<p>नम्बर व तारिख  अहकाम जो  इस हुक्म की  मिलमें जारी  हुए</p>
<p><b>07.01.2025</b></p>	<p>प्रार्थी अपीलार्थी के वकील उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। चूंकि मूल अपील आज निर्णित होकर खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं मूल अपील के साथ नत्थी हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>अति. जिला कलक्टर</b>  <b>सिरोही (राज.)</b> </p>	